**<u>राज्य सभा</u>**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4293**

**04 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**वेतन पुनरीक्षण के अनुसार एकसमान न्यूनतम गारंटी लाभ**

**4293. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के अधिकारियों को दूसरे वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत मूल वेतन के 30 प्रतिशत की अधिवर्षिता लाभ के रूप में अनुमति प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि आरआईएनएल बोर्ड ने 2011 में इसे स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो 26 नवम्बर, 2008 को डीपीई के आदेश के बावजूद कार्यकारी अधिकारियों को इसे दिए जाने के लिए सरकार द्वारा आरआईएनएल को अनुमति प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वहनीयता खण्ड क्या है तथा एक समान न्यूनतम गारंटी लाभ (एमजीबी) रखने, जैसा कि पहले एवं दूसरे वेतन पुनरीक्षण में किया गया, के लिए एमजीबी को समाप्त करने में सरकार की बाध्यताएं क्या हैं?

**<u>उत्तर</u>**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)**

(क): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के कार्यपालकों और गैर-संगठित सुपरवाईजरों के लिए दिनांक 01.01.2007 से लागू वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन, जो कि दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित है, के अनुसार सीपीएसई के लिए अधिवर्षिता लाभों के रूप में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 30% की अनुमति होगी, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), ग्रेच्यूटी, पेंशन और अधिवर्षिता के पश्चात् चिकित्सा लाभ शामिल किए जा सकते हैं।

(ख): जी हाँ।

(ग): इस्पात मंत्रालय ने सभी संबंधित घटकों पर विचार करने के पश्चात् अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई में अधिवर्षिता लाभों के संबंध में प्रस्तावों की जाँच करने और सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया था और अन्य के साथ-साथ यह राय प्रकट की गई थी कि किसी भी सीपीएसई में पेंशन स्कीम को लागू करना डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने तथा कंपनी की लाभप्रदत्ता के आधार पर स्कीम की वहनीयता एवं स्थिरता जैसे संबंधित घटकों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

(घ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के कार्यपालकों और गैर-संगठित सुपरवाईजरों के लिए दिनांक 01.01.2007 से लागू वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 3 वहनीयता की शर्त को स्पष्ट करता है, जिसमें यह कहा गया है कि संशोधित वेतनमानों को इस शर्त पर अपनाया जाएगा कि इस प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप किसी भी सीपीएसई में कार्यपालकों और गैर-संगठित सुपरवाईजरी स्टाफ पर 12 महीनों की अवधि में होने वाले अतिरिक्त धन उपयोग से वर्ष 2007-08 के कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) में 20% से अधिक की गिरावट न हो। न्यूनतम गारंटी लाभ (एमजीबी) के संबंध में डीपीई द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

*****